FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

पनाराम बनाम अनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 314 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	314 25/9/19
21/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो। [signature]	
06/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की [illegible] पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के [illegible] निवेदन किया गया कि प्रार्थी [illegible] [signature] [illegible].11.2019	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:43:10 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी खेत सेरा मेड आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षी गणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेड व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सिमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य मेडो को लेकर तनाजा बना रहता है। तथा बर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में काश्त कर लेते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर

प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क रुपये-500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
31/12/2019 (?)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

वाद / 2019 / दिनांकः– 6/11/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
पनाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		अनाराम पुत्र वगताराम जाति जाट वगैरा 44 निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 314 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खवालिया नाडा व बोड़वा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 641 / 301 रकबा 32.02 बीघा मौजा खवालिया नाडा व खेत खसरा संख्या 211, 295 / 212 रकबा कम्शः 0.16, 50.00 बीघा मौजा बोड़वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कम्श्निर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कम्श्निर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कम्श्निर स्वयं या सहायक कम्श्निर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कम्श्निर शुल्क रूपये 500 / – जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)

दिनांकः– 6/11/2019

क्रमांक / वाद / 2019 / 936

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पनाराम पुत्र रामाराम
4. विप्रार्थीगण अनाराम पुत्र वगताराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:43:10 IST
Reason: SelfAttested